

[लो०स०स० प्रकाशन संख्या-319]

बिहार विधान-सभा

लोक-लेखा समिति का प्रतिवेदन सं०-311

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का अंकेक्षण
प्रतिवेदन वर्ष 1985-86 (रा० प्राप्तियां) में
वर्णित परिवहन विभाग से सम्बन्धित
कठिनाई पर लोक-लेखा समिति
का प्रतिवेदन



सत्यमेव जयते

(दिनांक को सदन में उपस्थापित)

अपलोड (वेबसाइट)

कृष्णा

बिगर

13/09/17

विषय सूची

	पृष्ठ
लोक लेखा समिति (1998-99) का गठन	क
लोक लेखा समिति उप-समिति (1) का गठन	ख
सभा सचिवालय के पदाधिकारी एवं कर्मचारी	ग
आमुख	घ
प्रतिवेदन - -अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1985-86 (रा० प्रा०)	
परिवहन विभाग की कंडिकाएँ	1 से 60
कंडिकाएँ - -1-2 (ख) 5, 1.4 (6), 1.5 (1), 1.7 (4), 1.8 (ख) (4), 4.1, 4.2, 4.3, 1.7 (4), 1.8 (ख) (4), 4.1 4.2, 4.3, (पार्ट-2 सेक्शन (1) एवं कंडिका (1) एवं कंडिका (1) 3.4 एवं 5 1 (घ) 4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4 10, 4.11,	



बिहार विधान-सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति का गठन (1998-99) के मा० सदस्यगण

सभापति

1 श्री विशंश्वर खां, स० वि० स०

सदस्यगण

2 श्री मो० नेमतुल्लाह, स० वि० स०

8 श्री राम लखन यादव, स० वि० स०

4 श्री शिवनाथ वर्मा स० वि० स०

5 श्री अवध बिहारी सिंह (महगामा) स० वि० स०

6 श्री प्रशान्त कुमार, स० वि० स०

7 श्री पारमनाथ, स० वि० स०

8 श्री भीखर बैठा, स० वि० स०

9 श्री सुनील कुमार पुष्पम, स० वि० स०

10 श्री विनोद कुमार यादवेन्दु, स० वि० स०

11 श्री योगेन्द्र प्रसाद साहु, स० वि० स०

12 श्री विजेन्द्र चौधरी, स० वि० स०

13 श्री देवदत्त प्रसाद, स० वि० स०

14 डा० चन्द्रमा सिंह, स० वि० प०

15 श्री बद्रीनारायण लाल, स० वि० प०

16 श्री रामजी प्रसाद शर्मा, स० वि० प०

17 श्री राम प्रसाद सिंह, स० वि० प०

श्री महावर लाल विश्वकर्मा, स० वि० प०

59

श्रीक लेखा समिति को उप-समिति-(1)का गठन

सभापति

- 1 श्री विश्वेश्वर खा, स० वि० स०

संयोजक

- 2 श्री शिवनाथ वर्मा, स० वि० स०

सदस्यगण


- 3 श्री रामलखन यादव, स० वि० स०
- 4 श्री विजेन्द्र चौधरी, स० वि० स०
- 5 श्री योगेन्द्र प्रसाद साहु, स० वि० स०
- 6 श्री देवदत्त प्रसाद, स० वि० स०
- 7 श्री विनोद कुमार यादवेन्दु, स० वि० स०
- 8 श्री पारसनाथ, स० वि० स०
- 9 श्री सुनील कुमार पुष्पम, स० वि० स०
- 10 श्री भीखर वैठा, स० वि० स०

महालेखाकार कार्यालय

- 1 श्री नन्ह लाल-महालेखाकार लेखा परीक्षा (1) बिहार, पटना
- 2 श्री राकेश जैन-महालेखाकार, लेखा परीक्षा (2) बिहार, रांची
- 3 श्री जयशंकर झा-वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी महालेखाकार: कार्यालय, बिहार, पटना।
- 4 श्री गोपाल जी भट्टाचार्य-वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, महालेखाकार, कार्यालय, बिहार रांची


वित्त विभाग

- 1 श्री प्रद्युम्न सिन्हा, वित्त आयुक्त, बिहार, पटना
- 2 श्री बी० एन० पांडेय, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, पटना



सभा-सचिवालय

- श्री रजनी कान्त देव, प्रभारी सचिव,
श्री हीरा लाल साहु, प्रभारी सयुक्त सचिव,
श्री भवेश चन्द्र सिंह, उप सचिव,
श्री सीताराम सहनी, अवर सचिव,
श्री उदय प्रसाद सिंह, अधर सचिव,
श्री मदन मोहन मिश्र, प्रशासी पदाधिकारी,
श्री जगदेव पासवान, प्रशासी पदाधिकारी,
श्री सुशील कुमार सिंह, प्रशासी पदाधिकारी,
श्री भागिक लाल हेंम्ब्रम, प्रशासी पदाधिकारी,



मैं लोक लेखा समिति के सभापति के हिसाब से परिवहन विभाग से संबंधित प्रकल्प प्रतिवेदन वर्ष 1985-86 (रा० प्रा०) की कंडिकाएँ 1.2(ख) 5, 1.4 (6), 1.5(1), 1.7(4) 1.8(ख) (4), 4.1, 4 2.4.3, 1.7 (4) 1.8(छ) (4) 4.1, 4.2, 4.3 4.3 (पार्ट--2 सेक्शन (1) एवं कंडिका (1) एवं कंडिका 3 4 एवं 5(प.4, 4 6, 4.7, 4 8 4.9 4.10, 4.11 पर विभागीय उत्तर, समिति द्वारा विचार-विमर्श एवं महालेखाकार रांची के द्वारा सम्परिक्षण के बाद समिति की अनुशंसाओं के साथ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ। उक्त प्रतिवेदन उप-समिति (1) द्वारा दिनांक 5 फरवरी, 1999 को पारित कर मुख्य समिति को सुपुर्द की गयी जिसे मुख्य समिति अपनी बैठक दिनांक 8 फरवरी, 1999 को समीक्षको-उपरान्त पारित किया।

उक्त प्रतिवेदन में लोक लेखा समिति के माननीय सदस्यों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर जो सहयोग प्रदान किया है वह काफी सराहनीय है। मैं अपनी तथा समिति की ओर से उन सभी माननीय सदस्यों को इस अपरिमेय सहयोग के लिये धन्यवाद देता हूँ। महालेखाकार (I) एवं (II), तथा वित्त विभाग के पदाधिकारीगण जो अपना बहुमूल्य समय देकर समिति की मदद की है को समिति धन्यवाद देती है।

सभा सचिवालय (लोक लेखा समिति) के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपना अथक प्रयास एवं मेहनत से इस प्रतिवेदन में समिति को जो सहयोग प्रदान के है इसके लिये मैं अपनी तथा समिति की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ।

आशा है कि समिति की अनुशंसाओं पर विभाग शीघ्र अयत्न कर इसे जल उपयोगी बनाने में समिति को मदद करेगी।

धन्यवाद।


पटना।

दिनांक 8 फरवरी, 1999


बिसेश्वर झा,

सभापति,

लोक लेखा समिति।



प्रतिवेदन



क्रमांक--1

अन्वेषण प्रतिवेदन (रा० प्रा०) 1985-86 को कडिका 1.2(ख)(5)

राज्य द्वारा वसूला गया कर राजस्व

वर्ष 1985-86 और विगत दो वर्षों के खानों पर कर राजस्व के अन्तर्गत प्राप्तियां निम्न प्रकार थी :-

1983-84	1984-85	1985-86	1984-85 के संदर्भ में 1985-86 में
	(करोड़ रुपयों में)		वृद्धि (-) ह्रास (-)
31.17	31.12	43.20	(+) 12.08

विभागीय स्पष्टीकरण

उपरोक्त विषयक कडिका राज्य द्वारा वसूला गया कर राजस्व के अन्तर्गत खानों पर कर से संबंधित है। इस पद में वर्ष 1984-85 में 31.12 करोड़ तथा 1985-86 में 43.20 करोड़ रुपये की वसूली की गई थी। इस प्रकार पिछले वर्ष तुलना में 12.08 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

राजस्व वसूली में वृद्धि लाने तथा सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने हेतु विभाग हमेशा प्रयत्नशील है तथा इसके लिए समय-समय पर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन दिये जाते रहते हैं। राजस्व वसूली के कार्यों में शिथिलता न बरती जाय, इसके लिए मुख्यालय के पदाधिकारियों द्वारा समय-समय पर अचक निरीक्षण का भी प्रावधान किया है, ताकि अधिक से अधिक राजस्व की वसूली संभव हो सके।

अतः अनुरोध है कि विगत तथ्यों के अलोक में इस कडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

राजस्व की वसूली पर विभाग बराबर तत्पर रहने से वसूली नियमित हो सके। समिति विभागीय स्पष्टीकरण के अलोक में अब अग्रोहाना नहीं चाहती है।

क्रमांक—2

अंकेक्षण प्रतिवेदन (रा० प्रा०) 1985-86 की कड़िका 1.3(ख) (5)

बजट अनुमान और वास्तविक प्रांकड़ों के बीच जो अन्तर हुआ, वह नीचे दर्शाया गया है :—

राजस्व के शेष	बजट अनुमान	वास्तविक प्रांकड़े	अन्तर अधिक (+) कमी (-)	अन्तर की प्रतिशतता
यानों पर कर	38.88	43.20	(+) 4.32	11.11

उपर्युक्त विवरणी से पता चलता है कि बजट अनुमान से वास्तविक प्रांकड़े में 4.32 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसकी प्रतिशतता 11.11 थी।

विभागीय स्पष्टीकरण समिति को उपलब्ध नहीं कराया गया। तीन माह के अन्दर स्पष्टीकरण उपस्थापित कराया जाय।

संग्रहण की लागत

क्रमांक—3

अंकेक्षण प्रतिवेदन (रा० प्रा०) 1985-86 की कड़िका 1.4(5)

वर्ष 1983-84 1985-86 तक के तीन वर्षों के दौरान यानों पर कर की शेष के अन्तर्गत प्राप्तियां के संग्रहण की लागत निम्न प्रकार थी :—

राजस्व शेष	वर्ष	संग्रहण की राशि	संग्रहण पर व्यय (करोड़ रुपयों में)	संग्रह पर व्यय की प्रतिशतता
यानों पर कर	1983-84	31.17	0.83	2.66
	1984-85	31.12	0.95	3.05
	1985-86	43.20	1.03	2.00

विभागीय स्पष्टीकरण

उपर्युक्त विषयक कडिका संग्रहण के लागत के अन्तर्गत यानों पर कर वसूली के 2.66 प्रतिशत व्यय किया गया है। इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि कर बचक गाड़ियों के परिचालन की रोकथाम हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर विशेष चेकिंग अभियान चलाये जाते हैं उक्त वाहनों के इंधन इत्यादि मद में यह राशि व्यय की जाती है। वैसे अन्य विभाग की तुलना में इस विभाग द्वारा बहुत कम राशि का व्यय किया जाता है। तथा मितव्ययिता बरतने हेतु सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिये जाते रहते हैं।

अतः अनुरोध है कि विणित तथ्यों के आलोक में इस कडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभाग को कर संग्रह पर व्यय पर नियंत्रण बरतना आवश्यक है। मितव्ययिता बरतने पर विभाग सावधानी रखे। इस निदेश के साथ समिति इस कडिका को अब आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

अन्वेषण प्रतिवेदन (रा०प्रा०) की कडिका 1 5(1)

कराधान के नये उपाय

वर्ष 1985-86 के बजट में निर्धारित कुछ कराधान उपाय जिन्हें प्रशासकीय कारणों से उस वर्ष लागू नहीं किये गये, जैसा कि वित्त विभाग द्वारा सूचित किया गया, नीचे दिया गया है।

उपाय

प्रत्याशित राजस्व (करोड़ रुपयों में)

यानों पर कर में वृद्धि

2 0 0

विभागीय स्पष्टीकरण

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग द्वारा निर्धारित कराधान उपायों को लागू किया गया, जिस कारण राजस्व वसूली में भी वृद्धि विगत वर्ष की अपेक्षा अधिक हुई है। कुछ वैधानिक कारण जैसे अतिरिक्त मोटर गाड़ी कर वृद्धि का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था, परन्तु विधान मंडल के दोनों सदनों

विभागीय स्पष्टीकरण

इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि बकायों को वसूली हेतु विभागीय बंदूक में सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाता रहा है। वर्ष 1991-92 में इसके लिए विभाग द्वारा एक अभियान चलाकर कर बकायों दारों की सूची संबंधित पदाधिकारियों से प्राप्त कर इसका कम्प्यूटरीकरण किया गया तथा इसकी सूची तैयार कर सभी प्रवर्तन पदाधिकारियों, चल-दस्ता निरीक्षकों तथा प्रवर्तन निरीक्षकों को सुपुर्द कर दी गई, जिससे राजस्व वसूली में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। इस वर्ष एक अभियान चलाकर लोक लेखा समिति की सभी कंडिकाओं के अनुपालन हेतु कड़ेनिदेश दिये गये हैं तथा इसका अनुपालन किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि वर्णित तथ्यों के आलोक में इस कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाये।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इस कंडिका को प्रागे बढ़ाना नहीं चाहती है।

अन्वेषण प्रतिवेदन (रा०प्रा०) की कंडिका 1.8 (ख) (4)

अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन

1 मार्च, 1986 तक निर्गत एवं सितम्बर, 1986 को बकाया पूड़े अन्वेषण प्रतिवेदनों एवं उनमें सन्निहित कंडिकाओं जो असमाप्त रूप से अधीक थी का विवरण निम्न प्रकार है;

विभाग	प्राप्तियों का स्वरूप	अनिस्तारित	वर्ष जिसमें प्रतिवेदन
		निरीक्षण लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों आपत्तियों की संख्या	सर्वप्रथम निर्गत हुआ
परिवहन	मोटर यान	164	1972-73

1. 1.8 (ग) (4)

यद्यपि सरकार ने अनदेश निर्गत किया है कि निरीक्षण प्रतिवेदन का पहला उत्तर निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करने की तिथि से एक मास के भीतर विभागीय

अधिकारियों द्वारा भेज देना चाहिए। फिर भी मार्च 1986 के अन्त तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर वितम्बर 1986 तक प्राप्त नहीं हुए थे। विवरण निम्न प्रकार है;

विभाग	प्राप्तियों का स्वरूप	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या जिनके प्रथम उत्तर प्राप्त नहीं हुए।	प्रथम प्रतिवेदन निर्गत करने का वर्ष
-------	-----------------------	--	-------------------------------------

परिवहन यानों पर कर

109

1976-77

विभागीय स्पष्टीकरण

उपर्युक्त विषयक कंडिका का अनुपालन प्रतिवेदन निम्न प्रकार है;

(ख) सभी संबंधित पदाधिकारियों को विभागीय पत्रों द्वारा निर्देश दिया गया है कि अनुपालन प्रतिवेदन भेजने में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाय उन्हें मार्गदर्शन दिया गया है एवं साथ ही हिदायत भी दी गई है कि इसकी पुनरावृत्ति भविष्य में न हो।

ग (4) -- उपर्युक्त कंडिका के अनुसार।

अतः अनुरोध है कि वर्णित तथ्यों के घालोक में इस कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

संश्लेषण प्रतिवेदन के अन्तर्गत विवरण

विभाग निरीक्षण प्रतिवेदनों का उत्तर समयानुसार भेजने हेतु पदाधिकारियों पर निर्देश किया गया तथा इसकी समीक्षा करें। इस संबंध में विभाग द्वारा निर्देश पत्रों द्वारा अधिकारियों पर कार्रवाई करें। उक्त निर्देश के बाद समस्त पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रतिवेदन भेजना नहीं चाहती हैं।

अन्वेषण प्रतिवेदन (रा० प्रा०) 1985-86 की कंडिका 4.1

लेखा परीक्षा के परिणाम

1985-86 वर्ष के दौरान परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच से 1527 मामलों से संबद्ध 162.09 लाख रुपये का मोटर यान कर फीस, अर्थ दण्ड, जुर्माना इत्यादि के न लगाये जाने तथा कम लगाये जाने की का पता चला, जिन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में रखा जा सकता है।

मामलों की संख्या राशि (लाख रु० में)

1. करों का न लगाया जाना तथा कम लगाया जाना ।	1239	102.88
2. फीस, फाईन तथा अर्थ दण्ड का लगाया न जाना ।	94	9.66
3. अन्य मामले	194	49.55
	-----	-----
योग—	1,527	162.09

विभागीय स्पष्टीकरण

उपरोक्त विषयक भारत के नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1985-86 की (रा0प्र:0) कंडिका 4.1 लेखा परीक्षा के परिणाम के संबंध में 1,527 मामलों में 162.09 लाख रु० की करों का न लगाया जाना तथा कम लगाया जाना, फीस, फाईन तथा अर्थदण्ड का न लगाया जाना एवं अन्य मामले के राजस्व की क्षति हुई है।

इस कमी को ध्यान में रखते हुए राजस्व वसूली में वृद्धि लाने हेतु विभागीय बैठक में सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये जाते हैं तथा उनके द्वारा ढिलाई बरतने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाती है। यही कारण है कि राजस्व वसूली में अन्य विभागीय की अपेक्षा इस विभाग में काफी वृद्धि हुई है। फिर भी प्रयास निरन्तर जारी है।

अतः अनुरोध है कि वणित तथ्यों के आलोक में इस कंडिका को समाप्त करने की कृपा की जाय।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अनुशासित करती है कि

(1) जिला परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की जांच समय-समय पर विभाग सचिवालय स्तर के पदाधिकारियों से कराये।

(2) करों का न लगाया जाना अथवा कम लगाया जाना, फीस, अर्थदण्ड फाईन आदि न लगाने वाले पदाधिकारियों पर विभाग कार्रवाई करे।

(3) उक्त मामलों की वसूली विभाग सुनिश्चित करे तथा समिति को 6 माह के अन्दर अवगत करावे।

अंकेक्षण प्रतिवेदन (रा० प्रा०) 1985-86 की कड़िका 4.2

कर का न लगाया जाना

4.2(i) 12 जिला परिवहन कार्यालयों छपरा, बेगूसराय, भागलपुर, वेतिया, गया, बोकारों रोहतास, पूर्णियां, मुजफ्फरपुर, जमशेदपुर, हजारीबाग तथा रांची के 177 यान मालिकों ने अप्रैल, 1973 से दिसम्बर 1985 के बीच विभिन्न अवधियों के लिये सड़क कर और मा अतिरिक्त मोटर कर का भुगतान नहीं किया था। इन यान मालिकों ने उपर्युक्त अवधि के बीच विभिन्न समय खंडों के लिए दुरुस्ती प्रमाण-पत्र निर्धारित प्राधिकार से प्राप्त किया था। इन यान मालिकों ने यानों के इस्तेमाल न किए जाने से संबंध न तो निर्धारित घोषणा प्रस्तुत किया न टैक्स टोकन की जमा किया इससे पता चलता है कि कर भुगतान न किए जाने की अवधि में यान चल रहे थे।

प्रशासकीय अनुदेशों के तहत कर भुगतान की स्थिति की जानकारी लेकर ही मोटर यान निरीक्षकों द्वारा दुरुस्ती प्रमाण-पत्र का नवीकरण किया जाना अपेक्षित है। किन्तु उपर्युक्त मामलों में ऐसा नहीं किया गया। जिससे यान मालिकों ने 43.59 लाख रुपये का कर वंचना कर सके।

4.2(ii) ग्यारह जिला परिवहन कार्यालयों (मोतीहारी, दूमका, छपरा, पटना, पूर्णियां रोहतास, भोजपुर, गया, जमशेदपुर, रांची और हजारीबाग में 69 मोटर यान मालिकों ने जनवरी, 1973 और जून 1985 के बीच विभिन्न अवधियों के लिए सड़क कर और अथवा अतिरिक्त मोटर यान कर का भुगतान नहीं किया था। रेकार्ड में ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे पता चले कि उपर्युक्त अवधि में मोटर यान नहीं चल रहे थे क्योंकि इन मामलों में टैक्स टोकन जमा नहीं किए गये थे तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर भुगतान से छूट के लिये न तो आवेदन दिये गये थे और न छूट स्वीकृत की गयी थी। दूसरी ओर मोटर यान निरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुसार ये सब यान उपर्युक्त अवधि के दौरान सड़क पर दूधटना

ग्रस्त हुए थे। इससे पता चलता है कि ये सब यान वास्तव में सड़क पर चल रहे थे। इसके अतिरिक्त चार परिवहन कार्यालयों (गया, जमशेदपुर, रांची, और हजारीबाग) के 17 मोटर यान मालिकों ने परिवहन पदाधिकारियों से इन यानों के संबंध में दुरुस्ती प्रमाण-पत्र भी प्राप्त किया था। इन यानों के संबंध में सड़क कर तथा अतिरिक्त मोटर यान कर लगाने या वसूल करने अथवा कर भुगतान किए बिना इन यानों का इस्तेमाल के लिए मालिकों को जुर्माना करने के संबंध में विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इस चुक के कारण 13.10 लाख रुपये का सड़क कर तथा अतिरिक्त मोटर यान कर वसूल नहीं किया। इसके अलावे इन मामलों में बिना टैक्स की अदायगी के गाड़ियों का व्यवहार करने के कारण जुर्माना भी वसूली योग्य था।

4.2 (iii) छ: जिला परिवहन कार्यालय (गया, मुंगेर जमशेदपुर मुजफ्फरपुर मोकीहारी, और बेगूसराय) में 44 मोटर यान मालिकों ने टैक्स टोकन जमा कर तथा विहित घोषणा प्रस्तुत कर दिसम्बर 1979 और दिसम्बर 1985 के दौरान विभिन्न अवधियों के लिए कर भुगतान से छूट प्राप्त किया था। 44 मोटर यानों में से मोटर यान निरीक्षकों द्वारा 43 मोटर यानों के संबंध में दुरुस्ती प्रमाण-पत्र दिये गये थे तथा एक मामले में घोषित गैर-इस्तेमाल अवधियों के दौरान एक यान सड़क पर दुर्घटना ग्रस्त हुआ जिससे पता चलता है कि यान वास्तव में सड़क पर चल रहे थे।

प्रशासकीय अनूदेशों के तहत कर भुगतान की स्थिति पता किए बिना मोटर यान दुरुस्ती प्रमाण-पत्र कानूनीकरण किए जाने के कारण 8.29 लाख रुपये का कर और अथवा अतिरिक्त मोटर यान कर का भुगतान छिपाने का मौका यान मालिकों को मिला। यान मालिक इस राशि के बराबर जुर्माना के भी देनदार थे।

4.2 (iv) किसी अवधि के लिए किसी यानों के इस्तेमाल न किए जाने के आधार पर कर भुगतान से छूट के लिए आवेदन स्वीकार करने की पूर्व शर्त है कर का अद्यतन भुगतान किन्तु तीन जिलापरिवहन कार्यालयों (गिरिडीह, छपरा, और पटना) में 18 मोटर यान मालिकों द्वारा अप्रैल/ 1974 और फरवरी, 1985 के बीच विभिन्न अवधियों के लिए सड़क कर

और अतिरिक्त मोटर यान कर का भुगतान न किए जाने के बाद भी उन्हें विभाग द्वारा यानों के टैक्स टोकन जमा करने तथा अनुवर्ती अवधियों के लिए कर भुगतान से छूट की स्वीकृति दी गई। यानों से टैक्स टोकन जमा करने के समय वसूली योग्य कर (पूर्वतर अवधियों के लिए) की राशि 2.90 लाख रुपये थी।

4.2(७) बोकारो में चार परिवहन यान मालिकों ने टैक्स टोकन तथा पंजीयन प्रमाण-पत्र जमा कर भुगतान से छूट के लिए निवेदन किया। उन्होंने घोषणाएं भी प्रस्तुत की जिनमें उन जगहों का उल्लेख था जहां यान उनके द्वारा रखे जाने का प्रस्ताव था। मोटर यान निरीक्षक, जिन्हें ये मामले सत्यापन के लिए विभाग द्वारा सौंपे गये थे, ने बताया कि ये यान घोषित जगहों पर नहीं पाये गये। परिणामतः कर से छूट के लिए गये आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया तथा अभ्यर्पण पंजी में इस बात को दर्ज कर दिया गया। यद्यपि उनके आवेदन अस्वीकृत कर दिये गये तथापि यान मालिकों ने जनवरी, 1981 से दिसम्बर 1985 के बीच विभिन्न अवधियों के लिए देय 1.21 लाख रुपये के कर का भुगतान नहीं किया। विभाग द्वारा भी कोई मांग नहीं की गई।

4.2 (७i) जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरपुर में कराधान रजिस्टर की नमूना जांच से पता चला कि दो यानों के कर टोकन और पंजीयन प्रमाण-पत्र जनवरी और अप्रैल 1982 के बीच जमा किये गये थे, लेकिन अभ्यर्पण रजिस्टर में इस जमा से संबद्ध न कोई प्रविष्टि की गयी थी न इस अभ्यर्पण स्वीकार करने संबंधी कोई दस्तावेज अभिलेख पर थे। कराधान रजिस्टर में इस अभ्यर्पण से संबंध प्रविष्टि स्पष्टतः पजी थी। परिणामतः जनवरी, 1982 और दिसम्बर, 1982 के बीच विभिन्न अवधियों के लिए 4708 रुपये के कर की वसूली नहीं की गयी। इसके अतिरिक्त कर भुगतान न करने के लिए यान मालिकों से जुमाना वसूली योग्य था।

विभागीय स्पष्टीकरण

उपरोक्त विषयक कड़िका जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरपुर, बोकारो, दुमका गिरीडीह, भागलपुर, छपरा, गया, पूर्णिया, जमशेदपुर,, हजारीबाग, राँची

रोहतास, भोजपुर, मोतीहारी तथा मुंगेर से संबंधित है। संबंधित पदाधिकारियों द्वारा दिया गया अनुपालन प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :

1. जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ने निम्न रूप से प्रतिवेदन दिया है:--

क्रम सं०	गाड़ी सं०	बकाया राशि	वसूली हेतु कार्रवाई
1	बी० आर० एफ० 115	59,890.00	नि०प०मु०सं०-284/92-93
2.	बी० आर० एफ० 691	69,957.50	885/92-93
3.	बी० आर० एफ० 1031	13,596.20	286/92-93
4	बी० एच० एफ० 8878	--	36/91-92
5.	बी० एच० एफ० 2507	--	35/91-92
6.	बी० एच० एफ० 1552	--	गाड़ी दरभंगा स्थानांतरित
7	बी० एच० एफ० 9026	--	बस दर्शाया गया है, जब कि मोटेड निबंधित है।

2. जिला परिवहन पदाधिकारी, बोकारो ने प्रतिवेदन किया है कि एस कंडिका में निहित उनके जिले में कुल 22 गाड़ियां हैं जिनमें कुल 12 गाड़ियों से कर की वसूली की जा चुकी है। तथा शेष दस गाड़ियों पर भी अपेक्षित कार्रवाई की गई है।

1. बी०एच०ओ०-909 ट्रैकर 6496-50 रु० की वसूली नीलाम पत्र के द्वारा बैंक स्कूल सं० 50,228 एवं 24 दिनांक 31 मई 1988, 11 अक्टूबर 1987 एवं 10 दिसम्बर 1988 के द्वारा कर ली गयी है।

2. बी०एच०ओ०-1109 वर्णित गाड़ी निजी मालवाहक है अर्थात् इसका निजी मालवाहक अनुज्ञप्ति से आवृत है। अतः निजी अनुज्ञप्तिधारी को अतिरिक्त कर भुगतने नहीं करने का प्रावधान था।

3. बी० एच० यू०-245 7384-60 रु० की वसूली दूसरे कर पत्रों में बैंक स्कूल सं०-74, 38, 139, 135, 136 एवं 7978 दिनांक 5 जनवरी 1984, 2 अप्रैल 1984, 3 जुलाई 1986 एवं 10 अक्टूबर 1986 के द्वारा कर ली गई है। आपत्ति से मुक्त की जाय।

4. बी० एच० यू०-5051 के विरुद्ध 337-50 रु० हास का उल्लेख है ।
 वर्णित राशि अतिरिक्त कर की वसूली का निर्देश निबंधन की तिथि के बाद
 प्राप्त हुआ था, यद्यपि अतिरिक्त कर 1 अप्रैल 1982 से लागू कर दी गई
 थी, पर मार्ग कर के भुगतान पर ही निबंधन की गई है । वर्णित तथ्यों के
 आलोक में इसे आपत्ति से मुक्त की जा सकती है ।

- 5. बी० एच० यू०-3443-100-00 रु०)
- 6. बी० एच० यू०-3590-100-00 रु०) वर्णित गाड़ियों की राशि ।
- 7. बी० एच० यू०-3596-100-00 रु०) समायोजित की गई है ।
- 8. बी० एच० यू०-3621-100-00 रु०)
- 9. बी० एच० यू०-3693-100-00 रु०)

10. बी० एच० यू०-3693 -100-00 रु० यह गाड़ी डी० टी० ओ०-
 जमशेदपुर के क्षेत्राधिकार में परिचालित हो रही है डी० टी० ओ०-जमशेदपुर
 को वर्णित राशि की वसूली हेतु इस कार्यालय के ज्ञापक सं० 131, दिनांक 19 जनवरी
 1991 के द्वारा लिखा गया ।

- 11. बी० एच० यू०-2664-100-00 रु०)
- 12. बी० एच० यू०-2802-100-00 रु०) वर्णित राशि का समायोजन
- 13. बी० एच० यू०-2934-100-00 रु०) किया गया है ।

14. बी० एच० यू०-5093 रु० की वसूली बैंक स्क्रील सं० 182, दिनांक
 25 मार्च 1987 के द्वारा की जा चुकी है ।

15. बी० एच० यू०-123-100-00 रु० राशि का समायोजन किया गया है

16. बी० एच० यू०-187-100-00 रु० की वसूली हेतु डी० टी० ओ०, पटना को
 इस कार्यालय के ज्ञापक-132 दिनांक 29 जनवरी, 1991 द्वारा लिखा गया है
 चूंकि यह गाड़ी उनके क्षेत्राधिकार में परिचालित हो रही है ।

17. बी० एच० ओ०-3729-100 रु० जबकि यह गाड़ी मोटर साईं ल के
 रूप में निबंधित है और कर भुगतान 31 अक्टूबर, 1990 तक की है आपत्ति से
 मुक्त की जाए ।

18. बी० एच० यू०-2365-100-00 रु० राशि का समायोजन किया गया ।

19. बी० एच० यू०-2166-100-00 रु० वर्णित राशि की वसूली बैंक स्क्रील
 संख्या-87 दिनांक 27 जनवरी, 1986 के द्वारा कर ली गई है ।

20. बी० एच० यू०-1295-109-00 रु० समायोजन किया गया है।

21. बी० एच० यू०-4657-906-15 रु० की वसूली बैंक स्क्रील-सं०-125 दिनांक 30 सितम्बर, 1983 के द्वारा की जा चुकी है।

22. बी० एच० यू०-518-65 रु० के हास का उल्लेख है। वह गाड़ी अभिलेख के आधार पर स्कूटर के रूप में निबंधित है। इसे आपत्ति से मुक्त किया जाए।

3. जिला परिवहन पदाधिकारी, दुमका के कार्यालय में 4 गाड़ियां हैं, जिसके विरुद्ध बकाये कर की वसूली हेतु डिमांड नोटिस निर्गत करने हेतु पत्रांक-13299 दिनांक 16 सितम्बर, 1991 द्वारा दे दिया गया है।

4. जिला परिवहन पदाधिकारी, गिरिडीह ने प्रतिवेदित किया है कि उनके जिले में इस कडिका से संबंधित कुल 19 गाड़ियां हैं, जिनके विरुद्ध बकाये कर की वसूली हेतु नियमानुकूल कार्रवाई की गई है तथा थाने से निलाम कर लिया गया है।

गिरिडिह

गाड़ी के प्रकार	लदान वजन तथा बैठान क्षमता	विक्रय की तिथि	निबधन की तिथि
1 बी० आर० वाई०-3862 ट्रक	15240 के० जी०	21-5-1983	5-4-1984
2 बी० आर० वाई०-3867	15660 के० जी०	15-3-1984	11-4-1984
3 बी० आर० वाई०-3898 डमफर	15550 के० जी०	19-4-1984	8-5-1984
4 बी० आर० वाई०-4093 बी० एस० आर० टीसी बस	53	20-6-1984	29-6-1984
5 बी० आर० वाई०-4145 बस	53	25-7-1984	13-10-1984
6 बी० आर० वाई०-4106 ट्रक	15660 के० जी०	31-7-1984	10-10-1984
7 बी० आर० वाई०-4162	21-4-1983	20-10-1984	1-10-1984

कर की वसूली
की तिथि ।

हाम की राशि

- 1-5-1983 604-20 यह गाड़ी बजाज सुपर स्कूटर है न कि ट्रक अंशेक्षण 1 प्रतिवेदन में उक्त गाड़ी को ट्रक दिया गया ।
- 1-4-1984 316-80 यह गाड़ी ट्रक है, जिसे बाड़ी निर्माण 1 अधिन का समय एक-एक माह कर 90 दिन तक अस्थाई निबंधन करने का प्रावधान है यह गाड़ी का निबंधन एक माह के अन्दर हो गया जो नियम संगत है अदाईगी भी निबंधन के तिथि से है ।
- 1-4-1984 316-80/40420 यह गाड़ी का निबंधन विक्रय के तिथि से एक माह के अन्तर्गत है और कर की अदाई विक्रय की तिथि से की गई है, जैसा कि अंशेक्षण प्रतिवेदन में अंकित है । अतएव इसका कर ।
- 1-9- 984 701-25 का भुगतान नियमित सही है । 3315-00 यह गाड़ी बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस है । उक्त गाड़ी का निबंधन क्रय की तिथि से तीन महीने के अन्तर्गत की गयी ।
- 1-7-1984 701-25/3315 यह गाड़ी बस है । उक्त गाड़ी की निबंधन की तिथि से कर की आदायगी की गयी है, विक्रय की तिथि से तीन महीना के अंदर ही किया गया है । चूंकि गाड़ी का बड़ी बनाने हेतु एक-एक माह करके 90 दिनों तक अस्थाई निबंधन करने का प्रावधान है ।
- 1-10-1984 950-15/21250 उक्त गाड़ी ट्रक है, गाड़ी का निर्माण विक्रय की तिथि से तीन महीने के अन्तर्गत निबंधन की गयी है अर्थात् दिनांक 10 अक्टूबर, 1984 और न कि 10 जुलाई, 1985 में । अतः इसका निबंधन नियम संगत है और कर की वसूली की निगमतः गयी ।
- 674-10 यह गाड़ी मिलिटरी डिस्पोजल अक्शन से की गयी है । मिलिटरी डिस्पोजल से खरीदा गाड़ियों का ही निलामी किया जाता है । अतः इसमें विक्रय तिथि का प्रश्न नहीं उठता है ।

(35)

8	बी० आर० वाई०-4324	,,	12-12-1984	5-2-1985
	श्रीटी रिकशा			
9	बी० आर० वाई०-4325	15660 के० जी०	13-11-1984	17-2-1985
	टिम्पर			
10	बी० आर० वाई०-8193	15660 के० जी०	11-12-1984	18-2-1985
	टिम्पर			
11	बी० आर० वाई०-6393	15660 के० जी०	1-12-1984	18-2-1985
	टिम्पर			
12	बी० आर० वाई०-5493	15660 के० जी०	1-12-1984	18-2-1985
	टिम्पर			
13	बी० आर० वाई०-7293	15660 के० जी०	1-12-1984	18-2-1985
	टिम्पर			
14	बी० आर० वाई०-4504	15660 के० जी०	18-1-1985	2-2-1985
	टुक			
15	बी० आर० वाई०-4403	15660 के० जी०	11-1-1984	10-10-1980

गाड़ी के कर की अदायगी निबंधन की तिथि से की गयी है, जो नियम सगत है।

- 1-1-1985 33-35/1835 यह गाड़ी लम्बेटा स्कूटर है न कि श्रीटो रिवशा अंकेशन प्रतिवेदन में वर्णित राशि 33-35 एवं 18-35 की वसूल बैंक स्कील सं० 11-12 दिनांक 28 जून, 1985 के द्वारा की गयी है इसे आपत्ति से मुक्त की जाए।
- 1-1-1985 633-60/808-40 उक्त गाड़ी का वांडी निर्माण की तिथि से तीन महीने के अन्तर्गत निबंधन की गयी है और कर की अदायगी, निबंधन की तिथि से की गयी है।
- 1-2-1984 633-60/808-40 उक्त गाड़ी का निबंधन विक्रय की तिथि से तीन महीना के अन्तर्गत की गयी है और कर की अदायगी निबंधन की तिथि के एक माह से ली गयी है, जो नियमतः है।
- 1-2-1985 633-60/808-40 तथैव
- 1-2-1985 633-66/808-40 तथैव
- 1-2-1985 633-60/808-40 तथैव
- 1-2-1985 310-80/404-20 यह गाड़ी हीरो मेजेस्टिक है इसका निबंधन तिथि 30 अप्रैल, 1985 है कर की अदायगी यथानुसार किया गया है इसे उठाने की कृपा की जाय।
- 1-10-1984 316-80 यह गाड़ी ट्रक है जिसका निबंधन नियमतः है अर्थात् दिनांक 10 अक्टूबर 1984 एवं कर की अदायगी नियमतः की गयी है। इसे आपत्ति से मुक्त किया जाए।

32

20

16 बी० आर० वाई० 9195

58

1-11-1984 14-11-1984

17 बी० आर० वाई० 4401

15660 के०

जी०

23-11-1984

4-12-1984

18 बी० आर० वाई० टूक

15660 के०

जी०

31-10-1984

4-12-1984

19 बी० आर० वाई० टूक

15660 के०

जी०

24-7-1984

15-1-1985

- 1-6-1984 1237-50/6066 75 यह गाड़ी मेटाडोर 305 है न इसकी निबंधन तिथि 2 फरवरी, 1-83 है और यथानुसार कर की अदायगी दिनांक 1 दिसम्बर 1983 की गयी है। इसे आपत्ति से मुक्त की जाए।
- 1-12-1984 316-80/40420 उक्त गाड़ी ट्रक है जिसका निबंधन विक्रय की तिथि से एक माह के अन्तर्गत की गयी है कर का भुगतान 1 दिसम्बर, 1984 से किया है जो नियमित है। इसे आपत्ति से मुक्त किया जाए।
- 1-11-1984 316-80 404-20 गाड़ी ट्रक है, जिसका निबंधन दो माह के अन्तर्गत की गयी है। अर्थात् 4 दिसम्बर, 1984 तथा कर की अदायगी नियमित है। इसे आपत्ति से मुक्त किया जाए।
- 1-9-1984 633-60 यह गाड़ी सेन्द्रल कोल्ड फिल्ट की है, जिसका निबंधन 15 जनवरी, 1985 को किया गया है विक्रय की तिथि 24 जुलाई, 1984 तथा कर भुगतान की तिथि 1 सितम्बर, 1984 है। इस प्रकार कर की अदायगी लगभग दो माह के अन्तराल से ही किया गया है। अतः नियमानुसार है, इसे आपत्ति से मुक्त किया जाए।

अतएव आपत्तिनिराधार है ।

5 जिला परिवहन कार्यालय, भागलपुर में कुल 5 गाड़ियां हैं जिनके विरुद्ध वसूली हेतु डिमांड नोटिस निर्गत किया है ।

बी०पी०जेड०-4520 रु० 8031 = 50 डिमांड नोटिस 83 दि० 4 अगस्त 1992 जारी की गई ।

„	5680 रु० 041182-50	„	84	„
„	4595 रु० 24866 -00	„	85	„
„	4623 रु० 10139--00	„	86	„
„	7491 रु० 26386--00	„	87	„

6 जिला परिवहन कार्यालय, छपरा ने सूचित किया है कि गाड़ी मालिक को कर भुगतान हेतु डिमांड नोटिस जारी किया जा रहा है । ये अपनी गाड़ी का बकाया राशि का भुगतान करे, इसके लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है ।

7. जिला परिवहन कार्यालय, गया इस जिले में कुल तीन वाहन हैं । इस सभी वाहनों के विरुद्ध बकाये राशि को वसूली हेतु निलाम-पत्र बाद दायर कर दिया गया है ।

इस कंडिका में वाहन संख्या बी० आर० पी० 0475, 2685, 6817 गाड़ियों के विरुद्ध निलाम-पत्र बाद-दायर कर दिया गया है । इस आलोक में आपत्ति उठाने की अनृशंसा की जा सकती है ।

8. जिला परिवहन कार्यालय, पूर्णियां, इस जिले में कुल तीन वाहन हैं, जिनके विरुद्ध बकाये कर की वसूली हेतु निलाम-पत्र बाद दायर कर दिया गया है ।

(1) बी०आर०के०-2636 ट्रक गाड़ी मालिक को बकाया रकम की वसूली के लिए मांग-पत्र संख्या 662, दिनांक 14 दिसम्बर 1987 द्वारा भेजा गया है । निलाम पत्र अभियोग संख्या 15/92 दायर कर दिया गया है ।

(2) बी०आर०ई०-7851-यह गाड़ी का कर एवं अतिरिक्त कर 31 दिसम्बर 1978 तक मोतिहारी में भुगतान एवं मोतिहारी में ही कर भुगतान कर दी है ।

(3) बी० आर० एफ०-9921 (ट्रक) इस गाड़ी का मार्ग एवं अतिरिक्त कर अप्रैल 1983 तक भुगतान है। दिनांक 1 मई 1983 से 29 फरवरी 1984 तक प्रत्यापित थी है, जिनमें से दो गाड़ियों से कर वसूली कर ली गई है। चार गाड़ियों के विरुद्ध निलाम-पत्र दायर किया गया है तथा एक गाड़ी सं०-बी०आर० टा०-7740 का रजिस्टर फट जाने के कारण बकाये राशि का पता नहीं चला पा रहा है।

7240 = 00

1. बी०एच०टी०-8450 रु० ----- सी०एल० 530/92-93
7520 = 00

2. बी०एच०टी०-7855 रु० 3,888 - 80 रु० 3,000 = 00 सी०सी०
529/92-93

3. बी०एच०टी०-8701 रु० 7,713 = 74 रु० 37,994 सं०सी० 531/
92-93।

4. बी०एच०टी०-3275 रु० 550 00 रु० 1,100 00 1/92-94

5. बी०आर०एक्स०-425 रु० 5,853 - 65 रु० 7,537 = 70 संपूर्ण
पी० एस० 151, दिनांक 9 जनवरी 1985 पी० एस० 152 दिनांक
9 जुलाई 1985।

6. बी०आर०टी०-5943 रु० 5,541.50 रु० 7,000 00 सी०सी०
597/92-93।

7. बी०आर०टी०-7740 रु० 6,095.65 रु० 7,875 00 रजिस्टर
फट गया।

10. हजारीबाग जिले में कुल 41 गाड़ियां हैं जिनमें से 24 गाड़ियों से कर की वसूली कर ली गई है तथा शेष 17 गाड़ियों के विरुद्ध निलाम-पत्र वाद दायर किया गया है।

गाड़ी सं०	मार्ग कर की राशि	अतिरिक्त पत्र कर की राशि	अनुपालन
1 बी०एच०एम० 6436	13323.75	418220.00	नि० वाद सं०-16/91-92 दिनांक 21 अक्टूबर, 1991 द्वारा दायर किया।
2 बी०एच०एम० 7861	6311.25	35190.90	नि० प० दिनांक द्वारा वाद सं० दायर किया गया। 3142/92-93 8-8-1992
3 बी०आर०एम० 8863	9817.50	41820.00	15/91-92 21-10-1991
4 बी०एच०एम० 7305	9933.00	35880.00	13/91-92 21-10-1991
5 बी०आर०एम० 9505	12276.00	33040.00	315/91-93 4-8-1992
6 बी०आर०एम० 8471	9954.10	19200.00	14/91-92 21-10-1991
7 बी०एच०एम० 354	13350.70		316/92-93 4-8-1992
8 बी०एच०एम० 487	12686.10	10575.00	317/92-93 4-8-19.2
9 बी०एच०एम० 408	7287.05	9012.50	371/91-93 ..
10 बी०आर०एम० 9808	3879.05	4593.75	318/92-93 ..
11 बी०आर०एम० 9588	3889.05	4593.75	319/92-93 ..
12 बी०एच०एम० 2117	9967.65	11985.00	22/91-92 21-10-1991

3	बी०एच०एम०	9185.20	10327.50	320/92-93	4-8-1992
	4041				
4	बी०एच०एम०	7249.00	9400.00	321/92-93	,,
	4124				
5	बी०एच०एम०	10873.80	12925.00	322/92-93	,,
	4491				
16	बी०आर०एम०	7249.20	7520.00	323/92-93	,,
	9741				
17	बी०आर०एम०	5040.00	5230.00	324/92-93	,,
	9303				
18	बी०आर०एम०	9967.75	10340.00	325/92-93	,,
	9231				

11 रांची जिले में चार गाड़ियों से कर की वसूली कर ली गई है तथा सात गाड़ियों के विरुद्ध निलाम पत्र वाद दायर किया गया है। एक गाड़ी का कर भुगतान जिला परिवहन कार्यालय, चाईबासा में किया जा रहा है। तीन गाड़ियां युनाइटेड कमपुरा कोलियरी के नाम से निवधित हैं। 1974-75 में विभिन्न कोलियरियों के राष्ट्रीयकरण हो जाने के कारण इनकी परिसम्पतियां सेन्ट्रल कोलपिटड की हो गई थी परन्तु आज तक इन तीनों गाड़ियों का स्वामित्व परिवर्तन सी० सी० एल० के

ना नहीं किया गया है। इन तीनों गाड़ियों की वर्तमान स्थिति का कोई पता नहीं है तथा युनाइटेड कमपुरा के नाम से कोई कोलियरि वर्तमान में नहीं है। अतएव निलाम वाद दायर करना संभव नहीं है।

निम्न गाड़ियों का कर भुगतान कर दिया गया है अद्यतन स्थिति निम्नरुत है : -

गाड़ी सं०	अद्यतन कर की स्थिति
बी० आर० भी० 9743	31 दिसम्बर, 1991
बी० आर० भी०--4744	31 दिसम्बर, 1991
बी० आर० भी०--9664	31 मार्च, 1992
बी० आर० भी०--9705	31 जून, 1991

35

ट्रक संख्या बी० आर० भी०--8863 का कर भुगतान 1 अप्रैल, 1980 से जिला परिवहन पदाधिकारी, चाईबासा के पत्रांक-1057, दिनांक 16 जनवरी, 1989 के अनुसार उनके कार्यालय में किया जा रहा है।

शेष निम्न गाड़ियों के विरुद्ध निलाम-पत्र वाद दायर कर दिया गया है, जिस का विवरण निम्न प्रकार है :--

गाड़ी संख्या	निलाम वाद संख्या
बी० आर० भी० -9885	657/1992-93
बी० आर० भी०-9721	658/1992-93
बी० आर० भी०--9703	659/1992-93
बी० आर० भी०--9655	660/1992-93
बी० आर० भी०--8248	661/ 992-93
बी० आर० भी०- 9982	662/1992-93
बी० आर० भी० 8863	663/1992-93

ट्रक संख्या बी० आर० भी०--9731, 9732 एवं 9733 यूनाइटेड कर्णपुरां के नाम में निबधित है वर्ष 1974 या 1975 में विभिन्न निजी कोलियरियों के राष्ट्रीयकरण हो जाने के कारण इनकी परिसम्पतियां सेन्ट्रल कोल फिल्ड की हो गयी थी, परन्तु आज तक इन तीनों गाड़ियों के स्वामित्व परिवर्तन सी० सी० एल० के नाम में सही हुआ है और न तो इन तीनों गाड़ियों का वर्तमान स्थिति का कोई पता नहीं है। चूंकि यूनाइटेड कर्णपुरा नाम का कोई कोलियरि अभी वर्तमान में नहीं है। अतः निलाम-पत्र वाद दायर करना संभव नहीं है।

12 जिला परिवहन पदाधिकारी, रोहतास ने प्रतिवेदित किया है कि इसके अन्तर्गत सभी वाहनों के विरुद्ध डिमांड नोटिस निर्गत किया गया है तथा कुछ पर सर्टिफिकेट दायर किया गया है। गाड़ी सं०-बी० आर० जेड०--5879 से 1100-00 रु० की वसूली कर ली गई है।

गाड़ी सं०	प्रकार	वाद संख्या	तिथि
बी० आर० जेड-9921	बस	2/1992-93	10-7-1992
" 7107	"	3/1992-93	7-5-1992
" 8706	"	4/1992-93	10-7-1992
" 4568	"	5/1992-93	10-7-1992
" 9521	"	6/92-93	10-7-1992
" 5879	टैक्सी		
" 56	बस	7/92-93	7-5-1992
" 3916	"	8/92-93	10-5-1992
" 1717	"	9/92-93	10-7-1992
" 5585	"	10/92-93	10-7-1992
" 2018	"	11/92-93	7-5-1992
" 674	"	37/92-93	13-5-1992
" 2455	"	38/92-93	13-5-1992
" 4338	"	39/92-93	10-5-1992
" 4351	"	40/92-93	10-7-1993
" 6483	"	41/92-93	13-5-1992
" 6499	"	42/92-93	"
" 6508	"	43/92-93	"
" 5494	"	46/92-93	"
" 5896	"	44/92-93	10-7-1992
" 9357	ट्रक	47/92-83	13-5-1992
" 8085	"	48/92-93	"
" 4838	"	49/92-93	"
बी०एच०आई०-9630	मिनी बस	45/92-93	23-7-1992
" 7255	बस	88/92-93	"
बी०एच०व्यु० 4491	"	50/92-93	13-5-1992
बी०आर०सी०- 677	"	51/92-93	13-6-1992
बी०एच०पी०- 5961	"	64/92-93	10-7-1992
बी०आर०सी०- 2122	"	52/92-93	23-7-1992
" 6222	"	53/92-93	"
" 4821	"	65/92-93	10-7-1992

13.31. जिला परिवहन पदाधिकारी, भोजपुर ने सूचित किया है कि यह अंकेक्षण प्रतिवेदन कार्यालय में उपलब्ध नहीं था। इसकी प्रति उन्होंने स्व हाल ही में महालेखाकार कार्यालय से प्राप्त की है तथा डिमांड नोटिस निर्गत कर दिया गया है और डिमांड नोटिस से अवधि समाप्त होते ही वसूली नहीं होने पर सर्टिफिकेट वाद दायर किया जाएगा।

14. जिला परिवहन पदाधिकारी, मोतिहारी का प्रतिवेदन निम्न प्रकार है

क्रम सं०	गाड़ी संख्या	वसूली हेतु दायर निलाम पत्र वाद सं०
1.	बी०एच०एफ० 6896	80/92-93
2.	बी०आर०ई०-8055	81/92-93
3.	बी०आर०ई०-7631	82/92-93
4.	बी०आर०ई०-5917	104/92-93
5.	बी०आर०ई०-6251	83/92-93
6.	बी०आर०ई०-7451	84/92-93
7.	बी०आर०ई०-7185	85/92-93
8.	बी०आर०ई०-3859	86/92-93
9.	बी०आर०ई०-2131	87/92-93
10.	बी०आर०ई०-5105	88/92-93

15. जिला परिवहन कार्यालय, मुंगेर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इस कंडिका में कुल 6 वाहन सन्निहित हैं निबंधन पंजी के अनुसार गाड़ी संख्या बी०आर०एस० 9427 मोटर साईकिल में निबंधित है तथा इतका 30 अप्रैल, 1983 तक भुगतान है शेष सभी वाहनों पर निलाम पत्र वाद दायर किया जा चुका है।

1.	बी०आर०एम०-250	8167.50	46400.00	निलाम पत्र वाद सं० दिनांक 3-27/92-93 दिनांक 4 अगस्त, 1992
2.	बी०आर०एम०-9620	7167.50	4580.00	3-28/92-93 ,,
3.	बी०आर०एम०-7232	8514.00	42640.00	3-29/92-93 ,,

- 4. बी०एच०एम०-398 7804.50 39260.00 330/92-93
- 5. बी०आर०एम०-8766 9306 00 49200.00 331/92-93

उपरोक्त जिला परिवहन पदाधिकारियों के दिये गये वर्णित तथ्यों के आधार एवं अनुपालन प्रतिबन्धन के आलोक में उक्त कंडिकाओं को समाप्त करने की कृपा की जाए।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अनुशंसा करती है कि-

1. परिवहन कार्यालय बौध्या, बगसराय एवं मुजफ्फरपुर की अनुपालनीय विभागीय स्पष्टीकरण में शामिल नहीं है। संबंधित अनुपालन तीन माह के अन्दर समिति को उपलब्ध कराया जाय।

2. विभागीय स्पष्टीकरण में अंकित परिवहन कार्यालय मुजफ्फरपुर के क्रमांक 4, 5, 6, 7, बोकारों के सभी (क्रमांक 1 से 22), गिरीडीह के सभी (क्रमांक 1 से 19) भागलपुर के दो (बी० पी० जेड० 4520 एवं 5680), पूर्णिया के क्रमांक 1 (बी० आर० के० 2636), 2 (बी० आर० ई० 7851) एवं 3 (बी० आर० एफ० 9921 एवं बी० आर० एक्स० 425 तथा 7740), हजारीबाग के क्रमांक 3, 6, 8, 9, 12, 13 एवं 15, रोहतास के कुल 31 में से दो (बी० आर० जेड० 8085 एवं 4838) को छोड़ शेष सभी 29, मोतीहारा, मुंगेर एवं भोजपुर के सभी वाहनों की सख्या आपत्ति ग्रस्त वाहनों की सख्या से नहीं मिलते हैं।

3. (1) विभागीय स्पष्टीकरण में अंकित कुछ वाहनों की अशि.अशक्तिग्रस्त राशि से निम्न प्रथम सूची जिसे निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:--

जिला	वाहन सख्या	विभागीय स्पष्टीकरण में अंकित राशि	आपत्ति के अनुसार राशि
मुजफ्फरपुर	बी०आर०एफ०-115	58050.00	59890.00
"	691	67957.50	69997.50
"	1031	25817.40	13596.20
पूर्णिया	बी०एच०टी०-8701	7713.74	45708.74

58

	8275	550.00	1650.00
हजारीबाग बी.एच.एम.	7861	31502.15	41502.15
	2117	21872.65	21952.65

(ii) जिला परिवहन पदाधिकारी रांची एवं रोहतास के जो वाहन आपत्ति ग्रस्त वाहनों से मिलते हैं उनके विरुद्ध विभागीय स्पष्टीकरण में राशि नहीं दर्शायी गई है।

इस तरह का भ्रामक तथा पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का क्या औचित्य है? उक्त पदाधिकारियों पर लापरवाही बरतने के आरोप में शीघ्र कार्रवाई की जाय। संशोधित अनुपालन प्रतिवेदन तथा कृत कार्रवाई की जानकारी समिति को तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराई जाय।

(3) जिन वाहनों के बकाये राशि के भुगान के लिए निलाम पत्र मुकदमा विभिन्न जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा किया गया, उनसे तीन-तीन माह पर प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त की जाय। जिससे निलाम पत्र मुकदमा पर समुचित कार्रवाई हो सके।

(4) जिन गाड़ियों का निश्चित पता अबतक नहीं चला है उसको संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी पता लगाकर समुचित कार्रवाई करें।

(5) निलाम पत्र मुकदमा से वसूली गई राशि की जानकारी समिति को 6 के अन्दर दी जाए।

बिंदू-9

अंकेक्षण प्रतिवेदन (रा० प्रा०) की कंडिका 473

अतिरिक्त मोटरयान कर वसूल न करना अथवा कम वसूल करना।

(i) सात जिला परिवहन कार्यालय (हजारीबाग, रांची, गया, मुंगेर, पूर्णियां, बेगूसराय और जमशेदपुर) में अप्रैल-जून, 1982 तिमाही के लिये 301 यानों से संबद्ध अतिरिक्त मोटरयान करके 4.70 लाख रुपये रोड टैक्स के साथ वसूल नहीं किये गये।

जिला परिवहन अधिकारियों ने बताया कि यान मालिकों को मांग नोटिस दी जायेगी।

